

15.02.11

कार्यालय मुख्य अभियन्ता स्तर-1
(वर्कचार्ज वर्ग)
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड
देहरादून।

पत्रांक 204 / 18 का0प्र0-अधि0 / 10
सेवा में

दिनांक 16.03.2011

1. मुख्य अभियन्ता (कु0 / ग0क्ष0),
लो0नि0वि0,
अल्मोडा / पौड़ी।

2 अधीक्षण अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग, लो0नि0वि0,
पौड़ी।

विषय : — वर्कएजेण्ट का कार्य निर्धारण के संबंध में।

उपरोक्त विषयक वर्कएजेण्ट द्वारा सम्पादित किए जाने वाले कार्यों/दायित्वों को निम्नवत् वर्गीकृत किया जाता है:-

1. वर्क एजेण्ट का कार्य निर्माण/अनुसंधान कार्यों का सुपरविजन करते हुए गुणवत्ता सुनिश्चित करना।
2. कनिष्ठ अभियन्ता के साथ सर्वेक्षण इत्यादि कार्यों में सहायता करना।

उपरोक्त के अतिरिक्त उच्चाधिकारियों द्वारा समय-समय पर दिये गये कार्यों एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना।

मुख्य अभियन्ता स्तर-1

प्रति- समस्त अधिशासी अभियन्ता, खण्ड, लो0नि0वि0,।

प्रति- लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय मुख्य अभियन्ता स्तर-1, को उनके पत्र सं0-217/63(495) सू0अ0/10 दि0 24.02.11 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रति- प्रा0 अध्यक्ष, लो0नि0वि0, नियमित कार्यप्रभारित कर्मचारी संघ, देहरादून।

प्रति- गार्ड पत्रावली।

मुख्य अभियन्ता स्तर-1

BB
का/का

25-3-11 4581/15/15 का0प्र0 10/11 दि 25/3/11

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता प्रा0 नि0वि0
लोक निर्माण विभाग पौड़ी/पौड़ी/अ0नि0वि0/लोक निर्माण विभाग/देहरादून
विभाग में उपरोक्त सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधीक्षण अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग
पौड़ी गढ़वाल
25/3/11

14
15/11

श्रेषक,

राधा रतूड़ी
सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

- 1-प्रमुख सचिव,
सिंचाई, उत्तराखण्ड शासन।
- 2-सचिव,
लोक निर्माण, उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे0आ0-सा0नि0)अनु0-7

देहरादून, दिनांक 12 नवम्बर, 2009

विषय:-लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग एवं अन्य विभाग जहाँ कार्यप्रभारित अधिष्ठान है के कार्मिकों का वेतन पुनरीक्षण एवं अधिकतम सीमा के निर्धारण के संबंध में

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वेतन समिति(2008) के चतुर्थ प्रतिवेदन में की गई संस्तुति के क्रम में लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग एवं अन्य विभाग जहाँ पूर्व से रहे शासनादेश के क्रम में कार्यप्रभारित अधिष्ठान में दिनांक 1-1-2006 के पूर्व से कार्यप्रभारित कर्मचारी कार्यरत हैं की निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ-3 में पूर्व निर्धारित संहत वेतन सीमा को दिनांक 1-1-2006 से पुनरीक्षित वेतनमान के अनुसार के स्तम्भ-4 के अनुसार निर्धारित करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र०सं०	वेतमान (रूपये) जिसके आधार पर संहत वेतन निर्धारित था	दिनांक 1-1-2006 के पूर्व वेतनमान में निर्धारित संहत वेतन सीमा(रू०)	दिनांक 1-1-2006 से पुनरीक्षित किये गये वेतनमानों में निर्धारित संहत वेतन सीमा (रू०)
1.	2.	3.	4.
1.	2550-3200	3200	7260
2.	2610-3540	3540	7990
3.	2750-4400	4400	9990
4.	3050-4590	4590	10440
5.	3200-4900	4900	11120
6.	4000-6000	6000	13560
7.	4500-7000	7000	15820
8.	5000-8000	8000	19080

2--सहंत वेतन के निर्धारण हेतु वेतनमान के अधिकतम को आधार बनाया गया है अतः इस पर नियमित नियुक्त कर्मचारी की भांति मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते की अनुमन्यता का आधार नहीं है।

3-कार्यप्रभारित कर्मचारियों के प्रकरण में पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश में वजाज समिति(1998) के क्रम में भविष्य में कार्यप्रभारित कर्मचारियों की नियुक्ति पर रं.क के आदेश थे अतः नई नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध विषयक पूर्व निर्गत शासनादेशों के प्राविधानों के उल्लंघन को गम्भीरता से लिया जाएगा और संबंधित प्रभारी अभियन्ता/अधिकारी के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी। संशोधित दरें पूर्व से कार्यरत कार्यप्रभारित कर्मचारियों पर लागू होंगी।

4-उक्त पुनरीक्षित किये जा रहे वेतनमानों के फलस्वरूप कार्यप्रभारित कर्मचारियों को दिनांक 1-1-2006 से दिनांक 31अक्टूबर,2009 तक के एरियर की धनराशि वर्ष 2009-10 से 2011-12 अर्थात् तीन वर्षों में कमंश:40:30:30 के अनुपात में राष्ट्रीय बचत पत्र के रूप भुगतान की जाएगी और देय धनराशि के जिस किसी अंश का राष्ट्रीय बचत पत्र उपलब्ध नहीं हो सकता है वह उन्हें नकद दी जाएगी। दिनांक 1 नवम्बर,2009 से इस पुनरीक्षित वेतन का नकद भुगतान किया जाएगा।

भवदीय,
(राधा रतू.गं.)
सचिव।

संख्या 287 (1)/xxvii(7)का0प्रभा0/2009 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार,ओबराय भवन,माजरा,देहरादून।
2. मुख्य अभियन्ता,लोक निर्माण विभाग,देहरादून।
- 3- मुख्य अभियन्ता,सिंचाई विभाग,देहरादून।
- 4- निदेशक,कोषागार एवं वित्त सेवाएं,उत्तराखण्ड,देहरादून।
- 5- समस्त कोषाधिकारी,उत्तराखण्ड,देहरादून।
- 6- लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग एवं अन्य अनुभाग जहाँ कार्यप्रभारित कार्मिक कार्यरत हैं।
5. निदेशक,एन0आई0सी0,उत्तराखण्ड,देहरादून।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा, री
(शरद चन्द्र पाण्डे)
अपर सचिव।